

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — भोला साहु

बनाम

वाद सं० 04/2024-25

द्वितीय पक्ष — बिमल कोंगाडीबगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 22/2024 दिनांक 06/04/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) भोला साहु उम्र 76 वर्ष पिता स्व० हलधर साहु (2) सुजीत साहु उम्र 42 वर्ष पिता स्व० रुधु साहु (3) रमेश साहु उम्र 50 वर्ष पिता स्व० रुधु साहु (4) लालू साहु उम्र 50 वर्ष पिता स्व० रघु साहु (5) रघु साहु उम्र 36 वर्ष पिता स्व० सहरू साहु सभी ग्राम गुडाम थाना बसिया, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) बिमल कोंगाडी उम्र 50 वर्ष पिता स्व० मानुएल कोंगाडी (2) लौरेंस कोंगाडी उम्र 45 वर्ष पिता मानुएल कोंगाडी (3) हिलारुस टोप्पो उम्र 48 वर्ष पिता जोसेफ टोप्पो (4) डोमनिक टोप्पो उम्र 56 वर्ष पिता स्व० जोसेफ टोप्पो (5) प्रसाद इंदवार उम्र 46 वर्ष पिता स्व० उपतु इंदवार (6) प्रकाश इंदवार उम्र 35 वर्ष पिता स्व० उपतु इंदवार (7) अमृत टोप्पो उम्र 38 वर्ष पिता देवनीस टोप्पो सभी ग्राम — गुडाम गाछु टोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच जमीन में दखल को लेकर वाद दाया किया गया है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।	

लेखापित



31.2.24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।